

कृषि विभाग

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन श्री विधि से धान की खेती तथा संकर धान प्रभेद की खेती के प्रोत्साहन की योजना का वर्ष 2013-14 में 263.301 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन उक्त कार्यक्रम के लिए व्यय करने की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

2. बिहार राज्य चीनी निगम लि० के मुख्यालय सहित 7 (सात) बंद इकाइयों यथा 1. वारीसलीगंज 2. गुरारू 3. बनमन्खी 4. सिवान 5. न्यू सावन 6. गोरौल एवं 7. हथुआ के कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के बकाये भविष्य निधि अंशदान की राशि कर्मचारी भविष्य निधि निदेशालय, पटना को भुगतान हेतु कुल राशि ₹ 24.36 (चौबीस करोड़ छत्तीस लाख) करोड़ रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

2. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


3. नालंदा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल के मौजा-बालाविगहा, थाना सं०-15 खाता सं०-114, खेसरा सं०-330 रकबा-0.50 एकड़ (पचास डिसमिल), तेलहाड़ा बाजार स्थित गैर मजरूआ मालिक भूमि, राज्य योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 15,600/-रु० प्रति डीसमिल के दर से 7,80,000/-रु० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात् 39,000/-रु० का 25 गुणा अर्थात् 9,75,000/-रु० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 17,55,000/-रुपये (सतरह लाख पचपन हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

3. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4. बक्सर जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के मौजा-मंगरौव, थाना नं०-116, खाता सं०-243, खेसरा सं०-1301, रकबा-0.08 एकड़ (आठ डी०) अनाबाद सर्व साधारण किस्म पुरानी परती भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मंगरौव के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

4. स्वीकृत।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. औरंगाबाद जिलान्तर्गत अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय निर्माण हेतु अंचल-औरंगाबाद मौजा-कुशी थाना नं०-553 खाता नं०-133 खेसरा नं०-1721 रकबा-4.35 एकड़ गैर मजरूआ मालिक परती कदीम भूमि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।
5. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. अरवल जिला में, जिला परिवहन कार्यालय के भवन निर्माण हेतु अंचल-अरवल मौजा-चिरैयाटाड़, थाना नं०-19, खाता सं०-121, खेसरा सं०-373, रकबा- 0.37½ एकड़ गैर मजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि परिवहन विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अंतर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।
6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


7. "बिहार चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि की बन्दोबस्ती नीति, 2013" की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नालन्दा जिलान्तर्गत करायपरसुराय अंचल के मौजा-परसुराय, थाना नं०-34, खाता सं०-515, खेसरा सं०-886, रकबा-0.35 एकड़ (पैंतीस डी०) गैर मजरूआ आम किस्म गड़दा भूमि प्रखण्ड स्तर पर राज्य खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।
8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. खगड़िया जिलान्तर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ावर्ग छात्रावास निर्माण हेतु मौजा-रॉको थाना नं०-269 खाता नं०-133, 288 खेसरा नं०-616, 683 रकबा-क्रमशः 0.70, 0.30= 1.00 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म नदी नारी भूमि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अन्तर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।
9. स्वीकृत।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. औरंगाबाद जिलान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र 33/11 के०भी० के निर्माण हेतु अंचल-ओबरा मौजा-डिहरा थाना नं०-15 खाता नं०-86 खेसरा नं०-1453 रकबा- 0.72½ एकड़ गैर मजरूआ मालिक परती छवर भूमि का बाजार मूल्य 23,000/-रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुल-37,51,875/- (सैतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. बांका जिलान्तर्गत बाराहाट अंचल, मौजा-खडहरा, थाना सं०-117, खाता सं०-219, खेसरा सं०-1129 का 0.11 एकड़ किस्म बाँध, खेसरा सं०-1191 का 0.08 एकड़ किस्म बाँध, खेसरा सं०-1192 का 0.07 एकड़, किस्म बाँध तथा खेसरा सं०-1193 का 0.09 एकड़ किस्म खन्ता कुल-0.35 एकड़ गैरमजरूआ खास देहाती भूमि जिनकी प्रकृति बदल कर समतल एक फसला हो गयी है को 1,23,025 (एक लाख तेईस हजार पच्चीस) रूपया सलामी एवं सलामी के 5 % का 25 गुणा अर्थात् 1,53,781 (एक लाख तिरपन हजार सात सौ एकासी) रूपया पुँजीकृत मूल्य सहित कुल-2,76,806 (दो लाख छिहत्तर हजार आठ सौ छः) रूपया के भुगतान पर बाराहाट से बांका नयी बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण।

11. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12. औरंगाबाद जिला में नवीनगर पॉवर जेनरेटिंग कम्पनी प्रा० लि० परियोजनान्तर्गत विस्थापित रैयतों को बसाने हेतु अंचल-बारुण मौजा-नरारीकला थाना नं०-195 खाता नं०-07 खेसरा नं०-08 रकबा-6.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक, परती कदीम भूमि का बाजार मूल्य 7500/-रूपये प्रति डिसमिल की दर से कुल पुँजीकृत मूल्य 67,50,000/- (सरसठ लाख पचास हजार) रूपये के भुगतान पर नवीनगर पॉवर जेनरेटिंग कम्पनी प्रा० लि० (एन०टी०पी०सी० लि० एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संयुक्त उपक्रम) विद्युत भवन, पटना को स्थायी बन्दोबस्ती के संबंध में।

12. स्वीकृत।



राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

13. बक्सर जिलान्तर्गत चौसा अंचल के मौजा-सिकरौल, थाना नं०-41, चक खाता सं०-369 के विभिन्न चक खेसरा का रकबा-1.59 एकड़ एवं मौजा-खोरमपुर, थाना नं०-42 खाता सं०-87 के विभिन्न खेसरा का रकबा-0.48 एकड़ कुल रकबा-2.07 एकड़ (अनुलग्नक-1) अनाबाद बिहार सरकार किस्म भीट भूमि, विद्युत तापगृह चौसा के निर्माण हेतु 5000/-रूपया प्रति डी० के दर से 10,35,000/-रूपया सलामी एवं सलामी का 5 % व्यवसायिक लगान अर्थात् 51,750/-रूपया का 25 गुणा अर्थात् 12,93,750/-रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 23,28,750/-रूपया (तेईस लाख अठाइस हजार सात सौ पचास) के भुगतान पर इस शर्त के साथ आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तांतरण किया जाय कि कुल भुगतेय राशि निजी निवेशकर्ता से एकमुश्त वसूल कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि० पटना द्वारा उपलब्ध करा दिया जायगा एवं सम्पूर्ण राशि की वसूली के पश्चात् ही आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग


14. भोजपुर जिलान्तर्गत उदवंतनगर अंचल के मौजा-कारीसाथ, थाना सं०-327 खाता सं०-1078, खेसरा सं०-3835 रकबा-0.50 एकड़ (पचास डिसमिल), अनावाद सर्वसाधारण किस्म पुरानी परती भूमि, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 43,680/-रु० प्रति डीसमिल के दर से 21,84,000/- (इक्कीस लाख चौरासी हजार) रु० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय लगान अर्थात् 43,680/-रु० का 25 गुणा अर्थात् 10,92,000/- (दस लाख बानवे हजार) रु० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 32,76,000/-रुपये (बत्तीस लाख छिहत्तर हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. नालंदा जिलान्तर्गत नूरसराय अंचल के मौजा-मकनपुर, थाना नं०-82, खाता सं०-477 खेसरा सं०-1431, रकबा-0.13 एकड़ (तेरह डी०) गैर मजरूआ आम किस्म गड्ढा भूमि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, मकनपुर के भवन निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

15. स्वीकृत।



निगरानी विभाग

16. बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली, 2012 में पुलिस उपाधीक्षक के सीधी भर्ती (सेवाशर्त) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 16. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

17. पटना संग्रहालय, पटना के "शोध एवं प्रकाशन प्रभाग" (अधिगृहीत बिहार रिसर्च सोसाइटी) के सम्यक संगठन एवं संचालन हेतु अतिरिक्त पदों के सृजन एवं संग्रहालय निदेशालय के अधीन सृजित अनुपयोगी पदों के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति। 17. स्वीकृत।

गृह (आरक्षी) विभाग

18. बिहार राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 18. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

19. श्री उपेन्द्र प्रसाद, कार्यभारित कर्मों के नियमितिकरण के संबंध में। 19. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग


21. डा० सियाराम राय, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्रा०स्वा० केन्द्र, शोकहारा, बेगूसराय की सेवा से बर्खास्तगी। 21. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

23. विभागीय सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 से अगामी तीन वर्षों हेतु टी०सी०एस० को वार्षिक रख-रखाव (Annual maintenance charges (AMC)) के नवीकरण के लिए बेल्ट्रॉन के प्रस्ताव पर नामांकन के आधार पर वार्षिक कुल राशि ₹ 91,81,723.00 (एकानवे लाख एकासी हजार सात सौ तेईस) मात्र की स्वीकृति देने के संबंध में। 23. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

24. पटना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु QCBS (Quality cum Cost Based Selection) सिद्धांत के आधार पर मास्टर प्लान कन्सलटेंट के चयन की प्रक्रिया एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रु० 4,25,00,000.00 (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। 24. स्वीकृत।



विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

25. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में विभिन्न कोटि के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत रहें कर्मियों को नियमित नियुक्ति में उनके द्वारा किए गए संतोषजनक सेवा के लिए छः माह से उपर के कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 01 (एक) प्रतिशत (अधिकतम 05 प्रतिशत) का अधिमानता एवं Overage होने की स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा में पूर्व से संपादित सेवा अवधि के समतुल्य छूट दिए जाने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. पटना जिला के अंचल-नौबतपुर, मौजा-पैनापुर, थाना सं०-172, खाता सं०-118, खेसरा सं०-761, रकबा- 0.60 एकड़ बकाशत मालिक (सरकारी घोषित) भूमि बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

26. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

27. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, नालन्दा एवं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में एम०सी० आई० के संभावित निरीक्षण के संदर्भ में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/नर्स/पारा मेडिकल एवं वर्ग-3 के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर Walk-in-Interview के माध्यम से संविदा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग


28. पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड - बगहा अवस्थित युगल साह जनजाति बालिका उच्च विद्यालय, हरनाटॉड, प्रखण्ड-रामनगर अवस्थित जगन्नाथ आदर्श उच्च विद्यालय, बखरी बाजार एवं भागलपुर जिलान्तर्गत संत बिनोवा उच्च विद्यालय, तिनटंगा दियरा में राजकीय उच्च विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

28. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

29. पंचदश बिहार विधान सभा का अष्टम सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 173वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

29. स्वीकृत।



गृह विभाग

(विशेष)

30. दिनांक-12.10.2012 को मधुबनी में उग्र भीड़ द्वारा हिंसक घटनाओं और पुलिस फायरिंग की न्यायिक जाँच हेतु गठित जाँच आयोग का दिनांक-18.04.2013 से दिनांक-17.10.2013 तक अवधि विस्तार के संबंध में।
30. स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

31. 'मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार' के पद का सृजन की स्वीकृति।
31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति तथा प्रतिकुलपति के पदों पर नियुक्ति की अहर्ता तथा उसकी प्रक्रिया को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदंडों प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर नियुक्ति के प्रावधानों को प्रभावकारी बनाये जाने हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-10 तथा 12 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-11 तथा 14 एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 की धारा तथा 11 तथा 13A के कतिपय उपधाराओं को संशोधित किये जाने हेतु अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति।
32. स्वीकृत।

